पत्रांकः–07 / नीति०–24–04 / 2026...1631

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

डॉ० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से०,
अपर मुख्य सचिव,

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी
बिहार ।

पटना, दिनांक– ..13 / 05 / 2026

विषय :– भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना से संबंधित कार्य हेतु प्रगणक एवं प्रर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य सम्पन्न करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में निदेशक, जनगणना कार्य–सह–मुख्य प्रधान जनगणना पदाधिकारी द्वारा यह सूचित किया गया है कि प्रगणक एवं प्रर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत शिक्षकों से जनगणना के क्षेत्र–कार्य के दौरान उपस्थिति दर्ज किये जाने के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश दिये जाने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि जिलों में जनगणना के क्षेत्र–कार्य के दौरान अलग–अलग तरीके से उपस्थिति दर्ज किये जाने संबंधी निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं, जिससे प्रगणक एवं प्रर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत शिक्षकों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस क्रम में उनके द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि शिक्षकों को अनिवार्य प्रशिक्षण संबंधी दायित्वों से मुक्त रखने तथा जनगणना के क्षेत्र–कार्य के दौरान उपस्थिति दर्ज किये जाने के संबंध में शिक्षा विभाग जिलों के लिए स्पष्ट एवं एकरूप दिशानिर्देश निर्गत करे।

अंकनीय है कि Press Information Bureau द्वारा माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा लिए गये निर्णय के संसूचन में यह अंकित है कि **"The enumerators, generally government teachers and appointed by the State Governments, will be doing the field work of Census in addition to their regular duties."**

उपर्युक्त के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रगणक एवं प्रर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त शिक्षकों द्वारा विद्यालय में अध्यापन कार्य सम्पन्न करने के साथ–साथ विद्यालय अवधि के पूर्व अथवा विद्यालय अवधि के पश्चात् जनगणना संबंधी क्षेत्र–कार्य किया

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज

योगेश कुमार (बि.शि.से.)
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
गोपालगंज

पिन कोड– 841428
मो०- +91 8544411336
E-mail :deogopalganj.edn@gmail.com

6

जाय। इस क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 31 मई 2026 तक शिक्षकों को अनिवार्य प्रशिक्षण संबंधी किसी भी प्रकार के दायित्व से मुक्त रखा जाय।

विश्वासभाजन,

Rajen 13.5.2026

(डॉ० बी० राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक 600 गोपालगंज, दिनांक 13.05.26

प्रतिलिपिः– सभी प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राथमिक/ मध्य/ माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपिः– सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेशित।

13/05/26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
गोपालगंज।

YOGESH

Scanned with OKEN Scanner